

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम

बनाम

सम् मुकदमा नं. 111/28 RLR dt. 159/2012 सन्

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
07.04.22	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री 235785</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111/28</p> <p>राजस्थान कायदाकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 18.05.22 को पेश हो।</p>	
18/05/2022	<p>प्रार्थी वकील उपरिगत/विप्राधीगण के नोटिस तामिल शुद्धा तामिल शामिल पत्रावली किआ गभा/विप्राधीगण लोकनुद तामिल अनुपस्थित/आगलम संपन्न तीन बार अखाल लगाई गई, अन्तिम आवाज 5-45 PM पर लगई गई, विप्राधीगण स्वयं या उनकी ओर से को अहीतल उपरिगत नही हुआ लिहवा विप्राधीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः वास्ते बल्स पत्रावली दिनांक 18/05/2022 को पेश हो/</p> <p>उपस्थित अधिकारी यायतु जिना राव नेर</p>	

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

30/05/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-वाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड आ
क. कार/2022/805
प्रार्थी
1. नाथूराम पुत्र लिछमणराम
जाति जाट, निवासी
पटवार मण्डल
तहसील

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाडमेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 805

दिनांक 30/05/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. नाथूराम पुत्र लिछमणाराम,
जाति जाट, निवासी सांडियों की ढाणी,
पटवार मण्डल रतेऊ,
तहसील गिडा (बाडमेर)


1. जगराम पुत्र लिछमणाराम वगैरा 21,
जाति जाट, निवासी सांडियों की ढाणी,
पटवार मण्डल रतेऊ,
तहसील गिडा (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 159 / 2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - दलोंगियों की ढाणी, पटवार मण्डल -- रतेऊ, तहसील - गिडा, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 1034 / 775 रकबा 10.9670 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहकारक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क का भुगतान करवाकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस सहायता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद / 2022 / 806 / 810

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा
2. पटवारी हल्का रतेऊ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मरा रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री नाथूराम पुत्र लिछमणाराम,
4. विप्रार्थी श्री जगराम पुत्र लिछमणाराम वगैरा 21,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिडा/नागाणा।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाडमेर
दिनांक 30/05/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाडमेर